राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5246/2022

श्यामवीर सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर डिवीजन, भरतपुर।
4. डी.ई.ओ., माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.10.2022

आदेश की दिनांक : 10.09.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सुरेश अग्रवाल, ओआईसी

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 19.09.2017 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी की पूर्व की सेवा अवधि की गणना की जावे और उसके अनुसार वेतन निर्धारण करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति भारतीय सेना में क्लर्क के पद पर दिनांक 24.11.1985 को हुई थी और दिनांक 10.05.2005 को सेवा से सेवानिवृत्त हुआ। अपीलार्थी को भूतपूर्व सैनिक कोटे

के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के पद पर चयन हुआ और राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भरतपुर आदेश दिनांक 14.09.2012 के द्वारा पदस्थापित किया गया। 2 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर परिवीक्षा काल पूर्ण हुआ और दिनांक 18.09.2014 से स्थायी किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी की पूर्व की सेवायें भारतीय सेना में क्लर्क के पद पर दी हैं। उसकी अवधि की गणना भी की जानी चाहिये। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 152 में प्रावधान किया गया है और इस प्रकार उक्त नियमों के अंतर्गत अपीलार्थी की पूर्व की सेवाओं की गणना चयनित वेतनमान, वेतन निर्धारण एवं वरिष्ठता आदि में किया जाना चाहिये, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 21.07.2017 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जो आज दिनांक तक लंबित है, जिसका कोई निराकरण नहीं किया गया। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 19.09.2017 के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निरस्त कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस विभाग को प्रेषित करते हुये अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 19.09.2017 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी की पूर्व की सेवा अवधि की गणना की जावे और उसके अनुसार वेतन निर्धारण करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से ओआईसी ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.09.2014 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के नियम 22 के नीचे परंतुक जोडकर राज्य सेवा पद से उच्चतर पद पर सीधी भर्ती से अनुभव की शर्त के साथ नियुक्ति का संबंधित सेवा नियमों में प्रावधान होने पर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष एवं पूर्ण वेतन देय होने का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान संबंधित राज्य सेवा के सेवा नियमों में उक्त प्रावधान होने की स्थिति में लागू होते हैं, किंतु राज्य सेवा के एंट्री लेवल के पद एवं उससे उच्च सीधी भर्ती के पद जिन पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के साथ निर्धारित अनुभव भी अनिवार्य नहीं है। उन पदों के संबंध में यह प्रावधान लागू नहीं है। यह प्रावधान मंत्रालयिक अधीनस्थ एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की राजकीय सेवा के पदों पर भी लागू नहीं होता है और इस प्रकार अपीलार्थी 2 वर्ष की परिवीक्षा काल पर पे प्रोटेक्शन का हकदार नहीं है। राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 07.09.2006 के अनुसार *''भारत सरकार एवं भारत सरकार के संस्थानों में दिनांक 01.01.2004 से पूर्व नियुक्त कर्मचारी जो दिनांक 01.01.2004*

एवं इसके पश्चात् राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त/समायोजित होते हैं, उन पर राज्य सरकार की सेवा में नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी एवं भारत सरकार में व्यतीत की गई सेवा के लिये राज्य सरकार कोई दायित्व वहन नहीं करेगी।'' और इस प्रकार अपीलार्थी पूर्व की सेवाओं का लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति भारतीय सेना में क्लर्क के पद पर दिनांक 24.11.1985 को हुई थी और दिनांक 10.05.2005 को सेवा से सेवानिवृत्त हुआ। अपीलार्थी को भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के पद पर चयन हुआ और राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भरतपुर आदेश दिनांक 14.09.2012 के द्वारा पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी द्वारा भारतीय सेना में पूर्व में दी गई सेवाओं की अवधि की गणना भी की जानी चाहिये। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 152 में प्रावधान किया गया है और इस प्रकार उक्त नियमों के अंतर्गत अपीलार्थी की पूर्व की सेवाओं की गणना चयनित वेतनमान, वेतन निर्धारण एवं वरिष्ठता आदि में किया जाना चाहिये। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त कोई लाभ नहीं दिया गया। जहां तक अपीलार्थी की पूर्व की सेवा अवधि की गणना और उसके अनुसार वेतन निर्धारण तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.09.2014 के द्वारा *''राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के नियम 22 के नीचे परंतुक जोडकर राज्य सेवा पद से उच्चतर पद पर सीधी भर्ती से अनुभव की शर्त के साथ नियुक्ति का संबंधित सेवा नियमों में प्रावधान होने पर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष एवं पूर्ण वेतन देय होने का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान संबंधित राज्य सेवा के सेवा नियमों में उक्त प्रावधान होने की स्थिति में लागू होते हैं, किंतु राज्य सेवा के एंट्री लेवल के पद एवं उससे उच्च सीधी भर्ती के पद जिन पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के साथ निर्धारित अनुभव भी अनिवार्य नहीं है। उन पदों के संबंध में यह प्रावधान लागू नहीं है। यह प्रावधान मंत्रालयिक अधीनस्थ एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की राजकीय सेवा के पदों पर भी लागू नहीं होता है''* और इस प्रकार अपीलार्थी 2 वर्ष की परिवीक्षा काल पर पे

प्रोटेक्शन का भी हकदार नहीं है। राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 07.09.2006 के अनुसार *''भारत सरकार एवं भारत सरकार के संस्थानों में दिनांक 01.01.2004 से पूर्व नियुक्त कर्मचारी जो दिनांक 01.01.2004 एवं इसके पश्चात् राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त/समायोजित होते हैं, उन पर राज्य सरकार की सेवा में नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी एवं भारत सरकार में व्यतीत की गई सेवा के लिये राज्य सरकार कोई दायित्व वहन नहीं करेगी।''* इस प्रकार अपीलार्थी पूर्व की सेवाओं का लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील में हमें कोई बल प्रतीत नहीं होता है। इसलिये अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य